न्यायालय- सिविल जज (जू०डि०),एफ०टी०सी०(महिलाओं के विरूद्ध अपराध), लखीमपुर-खीरी।

वाद संख्या- **4135/2020**

कम्प्यूटर रजि०नं०-**345/2019**

UPLP04-023885-2019

रिजवाना बनाम नईम आदि।

17-11-2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। परिवादिनी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि प्रस्तुत प्रकरण परिवादिनी रिजवाना द्वारा **12** घरेलू हिंसा का वाद दिनांक- **24-09-2019** को प्रस्तुत किया गया था एवं बाद कार्यवाही दर्ज रजिस्टर हुआ।

आज दिनांक- **17-11-2021** को परिवादिनी अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आये तथा परिवादिनी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बल न देना प्रष्ठांकित किया गया। परिवादिनी अधिवक्ता द्वारा मौखिक कथन किया गया कि अब परिवादिनी यह वाद लड़ना नही चाहती है उसका सुलह हो गया है। अतः उक्त परिस्थितयों में वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का **12** घरेलू हिंसा का वाद बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अभय राजवंशी)

दिनांक- **17-11-2021** सिविल जज (जू०डि०), एफ०टी०सी०

(महिलाओं के विरूद्ध अपराध)

लखीमपुर-खीरी।